रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-51/2023/288/22-2-2023-17(692)/2017

लखनऊ:दिनांक: 22 फरवरी, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जसीराम (बन्दी संख्या-555/2003) पुत्र श्री छविलाल, निवासी औडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-299/1980, में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/34, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 13.02.2022 तक 19 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 09 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-51/2023/288(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- सुश्री रूचिरा गोयल, ए0ओ0आर0 को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस) (क्रि) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उनके ई-मेल पत्र दिनांक 20.02.2023 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को उपरोक्त रिट के सन्दर्भ में।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in